

## वैबेल प्रस्ताव / शिमला सम्मेलन - जून 1945

- वायसराय वैबेल ने राजनीतिक पुनर्गठन के सन्दर्भ में एक प्रस्ताव रखा और उस पर भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया।

### प्रस्ताव :-

- वायसराय परिषद में वायसराय एवं मुख्यसेनापति के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे।
- इसमें हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी।
- यह 1935 के अधिनियम के द्वारा संचालित होगा।
- जिनका की यह मांग थी कि मुसलमानों को केवल मुस्लिम लीग मनोनीत करेगी कांग्रेस ने इसका विरोध किया कांग्रेस प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व मौलाना आजाद कर रहे थे। (सीमांत गांधी भी सम्मेलन में शामिल थे।)
- वैबेल ने असहमति को देखते हुए बैठक को भंग कर दिया।

### प्रत्यक्ष तकरार की तीन घटनाएं :-

- नवम्बर 1945 में आजाद हिन्द फौज के तीन अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा।  
शहनवाज, दिल्ली, पी के सहगल

- फरवरी 1946 आजाद हिन्द फौज के राशिद भली को सजा दी गई।
- 18 फरवरी 1946 नौ सेना का विद्रोह इसकी शुरुआत बाम्बे से हुई।

महत्व :-

- तीनों घटनाओं ने इस तथ्य को मजबूती से स्थापित किया कि सेना में राष्ट्रीय चेतना का व्यापक प्रसार हो चुका है और भारतीय सेना के भरोसे शासन करना मुश्किल है।
- इन सैनिकों के समर्थन में सेना और प्रशासन के अलग-अलग भंगों ने भी संवेदना दिखाई। यह भी भंगों की दृष्टिकोण से एक खतरनाक स्थिति थी। इनमें भी नौ सेना विद्रोह भंगों के लिए सर्वाधिक चिंता की बात थी क्योंकि नौ सेना भंगों का सबसे मजबूत स्तम्भ था।
- नौ सैनिक विद्रोह के पश्चात ही सत्ता हस्तांतरण एवं संविधान सभा के निर्माण के संदर्भ में कैबिनेट मिशन को भेजा गया।
- प्रत्यक्ष तकरार की तीनों घटनाओं के समर्थन में शामिल भारतीय स्तर पर उग्र प्रतिरोध किया गया और इसमें आम लोगों की अधिक भागीदारी थी।
- विरोधक आहतान किसी राजनीतिक दल या नेता के द्वारा नहीं किया गया था।

- विरोध के दौरान साम्प्रदायिक एकता बनी रही  
मंग्रोहों के लिए यह भी चिंता की जाती थी
- विरोध को सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मिला।

### कैबिनेट मिशन मार्च 1946

सदस्य { पेंथिक लॉरेंस (भारत साचिव)  
एलेक्जेंडर  
क्रिप्स

यह तीनों लोग कैबिनेट रैंक के मंत्री थे।

उद्देश्य :-

संविधान सभा की संरचना और सत्ता  
हस्तांतरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रस्ताव  
देना।

प्रस्ताव :-

- जब तक नयी सरकार का गठन नहीं हो जाता  
तब तक के लिए अन्तरिम सरकार की योजना।
- पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत किया हालांकि  
इसने अपेक्षाकृत एक कमजोर केन्द्रीय या  
संघीय सरकार का सुझाव दिया (केन्द्र सरकार  
के पास रक्षा, विदेश एवं संचार जैसे विषय  
होंगे)।
- अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास होंगी।

- 389 सदस्यीय संविधान सभा होगी। (लगभग दस लाख की आबादी पर एक सदस्य)
- इसमें ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य होंगे जिनको प्रांतीय विधानमण्डल के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा (अप्रत्यक्ष तौर पर)
- देशी रिमासतों से 93 सदस्य होंगे और बनें मनोनीत किया जाएगा।
- संविधान का निर्माण तीन स्तरों पर होगी -  
(केन्द्रीय, प्रांतीय एवं प्रांतों के वर्ग के लिए)

नोट :- द. हिन्दू बहुल प्रांत, उत्तरपश्चिम में तीन मुस्लिम बहुल प्रांत और उत्तरपूर्व में दो मुस्लिम बहुल प्रांत।

प्रतिक्रिया :- जिन्ना एवं कांग्रेस दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया लेकिन शीघ्र ही जिन्ना ने निम्नलिखित कारणों से इसका विरोध किया।

- जिन्ना प्रांतीय वर्गीकरण को अनिवार्य मान रहे थे वही कांग्रेस वैकल्पिक मान रही थी।
- अन्तरिम सरकार में मुसलमानों को केवल मुस्लिम लीग मनोनीत करेगी यह मांग भी

नहीं मानी गई।

- संविधान सभा में कांग्रेस की मजबूत स्थिति को देखते हुए।

नोट :-

- 1945 में केन्द्रीय एवं प्रांतीय चुनाव में शारदित सीटों पर मुस्लिम लीग की स्थिति बेहतर थी।
- 1945 में ही ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ था और लेबर पार्टी की सरकार बनी थी।
- संविधान सभा एवं मिशन के अस्तावों का जिन्ना ने बहिष्कार किया और 16 अगस्त 1946 को जिन्ना प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की और साम्प्रदायिक दंगों को भड़काया।
- सितम्बर 1946 नेहरू जी के नेतृत्व में आन्तरिक सरकार का गठन।
- अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग आन्तरिक सरकार में शामिल, साम्प्रदायिक दंगे जारी थे और लीग के मंत्री सरकार के संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहे थे।

- फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। (दंगों की तीव्रता और बढ़ी)
- मार्च 1947 माउंट बैटन को गयसराय बनाकर भारत भेजा गया।
- विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद भारत के स्वतंत्रता एवं विभाजन के सम्पर्क में माउंट बैटन प्लान या 3 जून की योजना को जारी किया। (इसके निर्माण में पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी।)
- इसी योजना को 18 जुलाई 1947 को डाक्टरी इंडिपेंडेंस अधिनियम के रूप में ब्रिटिश संसद से पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।

## ब्रिटिश काल में सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास

क्या है! धर्म का राजनीतिक फायदे के लिए दुरुपयोग, साम्प्रदायिक एक आमक चेतना है जो इस आमक विश्वास पर आधारित है कि एक धर्म मानने वालों का हित एक जैसा होता है

## सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास :-

### भारत की परिस्थितियाँ :-

- भारत बहुधार्मिक देश है और ब्रिटिश काल में जो सीमित विकास हुआ उसका अधिकांशतः लाभ मध्य वर्ग (विशेषकर हिन्दुओं को) को मिला जब इस वर्ग के द्वारा अधिकारों की मांग की जाने लगी तब अंग्रेजों ने बाँटो एवं राज करों की नीति पर मुसलमानों में साम्प्रदायिक भावना को उभारा।
- सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलन से भी साम्प्रदायिक चेतना को मजबूती मिली
- साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में भी सांप्रदायिक चेतना को मजबूत करने का काम किया जैसे- इतिहास में प्राचीन काल को हिन्दू काल

- और महम काल को मुस्लिम काल के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- गरमदलीप नेताओं ने आन्दोलन के दौरान जन समर्थन के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग और ब्रिटिश सरकार एवं रूढ़िवादी मुसलमानों ने कांग्रेस को हिन्दू संगठन के रूप में देखना प्रारम्भ किया। और इसके विरुद्ध संगठित होने की बात की जाने लगी।
- स्वदेशी आन्दोलन के दौरान मुस्लिम लीग का गठन जिसने साम्प्रदायिक राजनीति को एक नयी पहचान दी और निरंतरता भी प्रदान की। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू महासभा का गठन हुआ।
- 1909 के अधिनियम में सरकार ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को वैधता प्रदान की और 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने भी।
- खिलाफत आन्दोलन के कारण राजनीति में रूढ़िवादी मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी।
- 1920-30 के दशक में सरकार ने मुस्लिम लीग के लगभग सभी मांगों को स्वीकार कर लिया फिर भी 1937 के चुनाव में न तो लीग के पास अनाधार था न ही हिन्दू महासभा के पास।

- 1934 के पश्चात विभिन्न कारणों से लीग का जनाधार बढ़ा जैसे- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान प्रांतीय सरकारों में इसे शामिल किया गया तथा भगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन में भी भलगाव वादी स्तर का महत्व दिया गया।
- 1945 तक यह स्पष्ट था कि लीग के पास एक जनाधार है।
- 1945-48 के मध्य पाकिस्तान की लड़ाई सड़को पर, आम लोगों के स्तर पर एवं आन्तरिक सरकार के स्तर पर लड़ी गई ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और आन्तरिक सरकार असहाय महसूस कर रही थी।
- इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष दो ही विकल्प थे प्रथम, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखना और विभाजन का विरोध करना इसमें बड़ी संख्या में आम लोगों के मारे जाने का डर था तथा भारत में और भी भलगाववादी स्तर के उभरने का भी। द्वितीय विभाजन को स्वीकार कर परिस्थितियों पर यथाशीघ्र नियंत्रण स्थापित करना।
- दूसरा विकल्प दुर्घट्य अवस्था था लेकिन राष्ट्रहित में इसी विकल्प का अपनाया गया।

## राजगोपालाचारी सूत्र - 1944

- सरकार चलाने में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एक दूसरे का सहयोग करे और आजादी मिलने के पश्चात् जिन क्षेत्रों को लेकर पाकिस्तान की मांग की जाती है वहाँ जनमत संग्रह कराया जायेगा और जनता यदि पक्ष में होगी तो उन प्रांतों का स्वायत्तता दी जाएगी।
- प्लान बाल्कन माउंटबैटन ने भारत को कई भागों में विभाजित करने का प्लान बताया था जिसे शस्त्रीकार कर दिया गया।

1924 में - बेलगांव में अधिवेशन - गांधी जी (अध्यक्ष)

1925 में अधिवेशन - अध्यक्ष - सरोजनी नायडू।

1946 में मेरठ अधिवेशन - जे. वी. कृपलानी।